न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-88/2011</u> संस्थित दिनांक- 16.03.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- 1. हरदयाल पुत्र बंशी यादव उम्र 66 साल
- 2. मीराबाई पत्नी हरदयाल सिंह यादव उम्र 66 साल
- 3. सनमान पुत्र हरदयाल सिंह यादव उम्र 28 साल
- 4. गजेन्द्र सिंह पुत्र संग्राम सिंह यादव उम्र 34 साल
- 5. तोफान सिंह पुत्र सरदार सिंह यादव उम्र 66 साल
- 6. संग्राम सिंह पुत्र हल्केराम यादव उम्र 40 साल
- 7. तिलक सिंह पुत्र हरदयाल सिंह यादव उम्र 24 साल
- संतराम पुत्र सरदार सिंह यादव उम्र 56 साल सभी निवासीगण ग्राम बरोदिया जिला अशोकनगर म0प्र0
 अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 10.01.2018 को घोषित)</u>

01—अभियुक्तगण हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र व मीराबाई के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 325/34, 324/34 दो शीर्ष के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.12.2010 को 07:30 बजे सुबह ग्राम बरोदिया में भगवान सिंह, मिथलाबाई व नरेन्द्र को उपहित कारित करने का सामान्य निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सख्त व मोथरी वस्तु से भगवान सिंह को स्वेच्छया घोर उपहित एवं मिथलाबाई को काटने के उपकरण फर्से से व नरेन्द्र को घातक आयुद्ध लुहांगी से स्वेच्छया उपहित कारित कि व सभी अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 506 बी के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने उक्त दिनांक, समय व लोक स्थान पर फरियादी भगवान सिंह यादव को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर उसे संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा अभियुक्त संतराम, तोफान, संग्राम सिंह व तिलक सिंह के विरुद्ध उपरोक्त आरोप के अतिरिक्त भा0द0वि0 की धारा 341 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने फरियादी भगवान सिंह यादव का रास्ता रोककर उसे गंतव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित

किया।

- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.2010 को प्रातः 07:30 बजे करीब हरदयाल, सनमान, गजेंद्र एवं मीराबाई द्वारा लाठी, लुहांगी फर्सा लेकर फरियादी भगवान सिंह यादव के घर के बाहर आकर भगवान सिंह यादव को बुरी-बुरी मां बहन की गालियां देने लगे तथा लाठी, लुहांगी से मारपीट की, भगवान सिंह यादव के पेट में बायें तरफ पसली में मुंदी चोट आई, मुंह से खून निकल आया तथा एडी में खरोंच बाये पैर में घुटने के नीचे छिल गया। जिसको बचाने के लिये मिथलाबाई व नरेन्द्र आये, तो सनमान ने नरेंद्र के लूहांगी मारी, जिससे सिर के पीछे तरफ लगी खून निकल आया। हरदयाल ने लाठी मारी बाये पैर के टकना में लगी। गजेन्द्र ने मिथलाबाई के फर्सा मारा, जो माथे में लगा खून निकल आया। हरदयाल ने लाठी मारी बाये बखा दोनों पैरों में मुंदी चोट आई, फिर रिपोर्ट पर जाने लगे तो रोड पर सतराम, तोफान, संग्राम, तिलक सिंह मिल गये, जिन्होने धमकी दी कि साले मादरचोद यदि तुमने रिपोर्ट की अभी तो बच गये, आइन्दा जान से खत्म कर मारकर फेंक देंगे। उक्त घटना को बुद्धमान व जयराम ने देखी। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रदर्श-पी-1 के आवेदन पर की गई पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा की गई जांच के आधार पर अपराध क्रमांक-15/2011 अंतर्गत धारा-323, 294, 506बी, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्श-पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण पर चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर भा0द0वि0 की धारा 325, 324 का इजाफा कर बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालयं में प्रस्तृत किया गया।
- 03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या अभियुक्तगण हरदयाल, मीराबाई, सनमान, गजेन्द्र सिंह ने उन्होने दिनांक 25.12.2010 को 07:30 बजे सुबह ग्राम बरोदिया में भगवान सिंह यादव को उपहति कारित करने का सामान्य आशय का निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के

- अग्रसरण में फरियादी भगवान सिंह यादव की नोजन अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
- 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण हरदयाल, मीराबाई, सनमान, गजेन्द्र सिंह ने आहत मिथलाबाई तथा नरेन्द्र को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में मिथलाबाई व नरेन्द्र को कमशः फर्सा व लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी भगवान सिंह यादव व अन्य को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित की ?
- 4. क्या उक्त दिनांक, समय व लोक स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी भगवान सिंह यादव व अन्य को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 5. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त संतराम, तोफान, संग्राम और तिलक ने फरियादी भगवान सिंह यादव व अन्य का रास्ता रोककर उसे गंतव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया ?
- 6. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 06— फरियादी भगवान सिंह (अ०सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में यह कहना है कि उसके कथन देने से दो तीन साल पूर्व सुबह सात बजे की घटना हैं, वह उस समय अपने घर पर था तो वहां पर अभियुक्त हरदयाल, मीराबाई, गजेन्द्र व सनमान आ गये और उसे मां बहन की गालियां

देने लगे तथा उसके साथ लुहागी व घूंसों से मारपीट की, जिससे घटना में उसके नाक में व मुंह में चोटें आई जहा से खून निकला तथा जांघों के बगल से पैरों की ऐडी में कमर में व पूरे शरीर में चोटें आई थी। भगवान सिंह (अ०सा0—1) का कहना है कि उसे बचाने के लिये उसकी बहू मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नाती नरेन्द्र (अ०सा0—3) आये, तो उपरोक्त चारों अभियुक्तगण ने उनके साथ भी मारपीट की थीं।

- 07— भगवान सिंह (अ०सा0—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखिण्डत रहे है तथा इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका—4 में भी यह स्पष्ट किया है कि घटना सुबह 07:30 बजे उसके घर की थी, जहां पर आरोपीगण रास्ते के विवाद पर से उससे चैट गये थे, जिसमें उसके नाक, मुंह, ऐडी में चोट आई थी तथा नाक और मुंह से खून निकल आया था तथा उसकी पसली भी टूट गई थी। प्रतिपरीक्षण की किण्डका—6 में फिरयादी ने अखिण्डत साक्ष्य देते हुये कथन दिये है कि घटना में मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेन्द्र (अ०सा0—3) के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें मिथलबाई के सिर में फर्से की चोट आई थीं।
- 08— भगवान सिंह (अ०सा0—1) के न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन अखण्डित हैं, जिसकी पुष्टि प्र0पी0—2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित घटना से होती है जो कि फरियादी के द्वारा थाने पर प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श—पी—1 पर जांच उपरांत सहायक उपनिरीक्षक राम सिंह (अ०सा0—4) के द्वारा दर्ज की गई। भगवान सिंह (अ०सा0—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन की पुष्टि उसकी बहू मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नाती नरेन्द्र सिंह (अ०सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है तथा इन साक्षियों की साक्ष्य भी प्रदर्श—पी—2 में उल्लेखित घटना के संबंध में अकाट्य व अखण्डित है।
- 09— मिथलबाई (अ०सा0—2) ने अपने कथनों में घटना का समय स्पष्ट करते हुये घ ाटना कथन देने के दिनांक से चार साल पहले उण्ड के समय की होकर सुबह 07:30 बजे की बताई है। मिथलाबाई (अ०सा0—2) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि घटना दिनांक को भगवान सिंह (अ०सा0—1) जब मकान के बाहर खडे थे तो वहां अभियुक्त हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र एवं मीराबाई ने ससुर की लाठी और लुहागी से, फर्से से मारपीट की थी, मिथलाबाई (अ०सा0—2) का कहना है कि उस समय वह चाय बना रही थी और चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर बचाने के लिये आई, तो अभियुक्त गजेन्द्र ने उसके सिर में फर्सा मार दिया तथा नरेन्द्र को सनमान ने लुहांगी से एवं हरदयाल ने लाठी से मारा था।

- 10— मिथलाबाई (अ०सा0—2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन फरियादी के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि करते हैं तथा घटना के संबंध में इस साक्षी के कथनों में बचाव कोई भी महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नही हुआ है। घटना में अन्य आहत नरेंद्र सिंह (अ०सा0—3) ने भी मिथलाबाई (अ०सा0—2) के सामान ही भगवान सिंह (अ०सा0—1) के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि करते हुये न्यायालय में कथन दिये है कि घटना दिनांक को सुबह 07:30 बजे जब उसके दादा घर के बाहर खडे थे, तो अभियुक्त हरदयाल, गजेंद्र, मीराबाई व सनमान उनसे आकर चैट गये थे। नरेंद्र (अ०सा0—3) का कहना है कि उस समय वह अपनी मा के साथ घर पर था और वह और उसकी मां दादा को बचाने पहुचे, तो अभियुक्त सनमान ने उसके सिर में पीछे लुहांगी मार दी तथा हरदयाल ने बाये पैर में लाठी से मार दिया तथा घटना में उसकी मां मिथलाबाई के माथे पर गजेंद्र ने फर्से से मारा था।
- 11— नरेन्द्र सिंह (अ०सा0—3) जो कि स्वयं घटना में आहत हैं, ने अपने कथनों में भगवान (अ०सा0—1) व मिथलाबाई (अ०सा0—2) द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि करते हुये इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक को सुबह सात बजे पहले अभियुक्त हरदयाल, गजेन्द्र मीराबाई व सनमान सिंह को भगवान सिंह (अ०सा0—1) के साथ घर के बाहर विवाद हुआ, जिसमें उपरोक्त अभियुक्त ने भगवान सिंह (अ०सा0—1) के साथ मारपीट की और जब वह स्वयं और उसकी मां मिथलाबाई (अ०सा0—2) जो घर पर से भगवान सिंह (अ०सा0—1) को बचाने के लिये बाहर आई, तो उनके साथ भी उपरोक्त आरोपीगण ने मारपीट कर उपहति कारित की।
- 12— घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जिहान सिंह (अ०सा0—9) ने अपने मुख्यपरीक्षण के कथनों में यह तो व्यक्त किया है कि उसने मारपीट की घटना देखी हैं तथा इस साक्षी ने कथन दिये है कि भगवान सिंह के सिर में लाठी पड़ने पर मुंह से खून आ गया था तथा उसकी बहू के सिर में भी चोट आई थी एवं नरेंद्र सिंह (अ०सा0—3) के साथ भी मारपीट की घटना हुई थीं, परन्तु इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में विरोधाभासी कथन दिये है कि प्रांरिभक घटना में अभियुक्त संग्राम सिंह व सूरज भान ने भी मारपीट की थी, जबिक उक्त घटना संग्राम सिंह व सूरज भान के द्वारा कारित की गई। ऐसा किसी भी अन्य साक्षी का कहना नहीं है। जिहान सिंह (अ०सा0—9) अभियोजन घटना के विपरीत यह कहना है कि संतराम और तोफान ने कोई घटना कारित नही की, बिल्क मात्र पिटवाया था, यह साक्षी स्वयं यह स्वीकार करता है कि वह नही बता सकता है

कि कौन सा आरोपी क्या हथियार लिये था।

- 13— जिहान सिंह (अ०सा0—9) के द्वारा घटना के संबंध में विरोधाभासी कथन दिये गये है तथा यह साक्षी मुख्यपरीक्षण में जहा स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताता है, वह स्वयं ही अपने प्रतिपरीक्षण में अपने उपरोक्त कथनों के विपरीत यह कहता है कि उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुये नही देखा तथा वह मारपीट की घटना के बाद पहुचा था। अतः यदि इस साक्षी के सामने कोई मारपीट की घटना हुई ही नही थीं तथा उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुये नही देखा, तो घटना के संबंध में इस साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं की गई उपरोक्त स्वीकोरोक्ति से यह प्रमाणित होता है कि इस साक्षी के समक्ष कोई घटना नही हुई। घटना के अन्य साक्षी जयराम (अ०सा0—7) व बुद्धभान (अ०सा0—8) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी का एवं फरियादी के कथनों का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। अतः जयराम सिंह (अ०सा0—7), बुद्धभान (अ०सा0—8) व जिहान (अ०सा0—9) के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 14— विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि किसी भी घटना की सत्यता को परखने के लिये साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण होती है और यदि एकल साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय है तो उसके आधार पर घटना प्रमाणित हो मानी जा सकती है। जयराम सिंह (अ0सा0—7), बुद्धभान (अ0सा0—8) व जिहान (अ0सा0—9) के कथनों से भले ही अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त न हुआ हो, पर यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक को सुबह सात बजे अभियुक्त हरदयाल, गजेन्द्र, मीराबाई व सनमान सिंह ने भगवान सिंह (अ0सा0—1) के घर के बाहर आकर रास्ते के विवाद पर से भगवान सिंह (अ0सा0—1) सिहत मिथलाबाई (अ0सा0—2) व नरेंन्द्र सिंह (अ0सा0—3) के साथ मारपीट की घटना कारित की थी, इस संबंध में भगवान सिंह (अ0सा0—1) के द्व रा अभियोजन के समर्थन में अखण्डित साक्ष्य दी गई वही घटना में आहत मिथलाबाई (अ0सा0—2) व नरेंद्र (अ0सा0—3) के द्वारा दी गई अखण्डित एवं विरोधाभास रहित साक्ष्य से भगवान सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा बताई गई घटना की पृष्टि होती है।
- 15— यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अभियुक्तगण व फरियादी के मध्य पूर्व का रास्ते का विवाद था तथा दिनांक 24.

12.2010 को अभियुक्त मीराबाई की रिपार्ट पर से फरियादी पक्ष के विरूद्ध मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था एवं दीवानी प्रकरण भी चला था, जिसके समर्थन में बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त मीराबाई (ब0सा0—1) सिहत संतराम (ब0सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये, जिन्होने अपने न्यायालीन कथनों में उपरोक्त बचाव के समर्थन में कथन देते हुये, प्रतिरक्षा स्थापित करने के लिये अपने समर्थन में दिनांक 24.12.2010 को अभियुक्त मीराबाई की रिपोर्ट पर से फरियादी पक्ष की ओर पर दर्ज किये गये, प्रकरण के अभियोग पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी—1 सिहत दोनों पक्षों के मध्य संस्थित व्यवहार वाद 60ए/11 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2013 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी—2 व उक्त प्रकरण में निर्णय अनुसार पारित डिक्री प्रदर्श—डी—3 भी अपने समर्थन में प्रस्तुत की गई।

- 16— भगवान सिंह (अ०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में यह स्वीकार किया है कि उसका मीराबाई व हरदयाल से झगडा हुआ था, जिसका प्रकरण चल रहा है तथा विवाद रास्ता बनाने पर से हुआ था। मिथलाबाई (अ०सा०—2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही इस बात की पुष्टि की है कि घटना से एक दिन पूर्व उसके ससुर की मीराबाई से मकान के पत्थर हटाने पर से विवाद हो गया था तथा इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में यह स्वीकार किया है कि जमीन के विवाद से उनका दो—तीन बार विवाद हो चुका है तथा घटना से एक दिन पूर्व भी उसके ससुर का आरोपीगण से विवाद हुआ था। नरेंद्र (अ०सा०—3) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसके दादा का घटना के एक दिन पूर्व मीराबाई व हरदयाल से रास्ते को लेकर विवाद हुआ था।
- 17— भगवान सिंह (अ०सा0—1) व मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेंद्र (अ०सा0—3) के द्व ारा अपने प्रतिपरीक्षण में की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति एवं मीराबाई (ब०सा0—1) के कथनों से एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श—डी—1 के दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि इस घटना के एक दिन पूर्व दिनांक 24.12.10 को भगवान सिंह (अ०सा0—1) व अभियुक्तगण के मध्य रास्ते पर से विवाद हुआ था और उक्त विवाद में मीराबाई (ब०सा0—1) की रिपोर्ट पर से भगवान सिंह व अन्य के विरूद्ध मारपीट का प्रकरण कायम हुआ था, जिसके संबंध में प्रदर्श—डी—1 अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। अतः स्पष्ट होता है कि अभियोजन घटना के पूर्व से ही अभियुक्तगण व फरियादी पक्ष के मध्य रास्ते के विवाद को लेकर पूर्व की रंजिश होना स्थापित है।
- 18— नरेंद्र सिंह (अ0सा0—3) ने यह स्वीकार किया है कि उसके दादा भगवान सिंह (अ0सा0—1) के विरूद्ध सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का प्रकरण चला था तथा

मिथलाबाई (अ०सा0-2) ने यह स्वीकार किया है कि तहसीलदार ने आरोपीगण की रिपोर्ट पर से उनका मकान तोडकर रास्ता खुलवाया था। प्रकरण में प्रदर्श-डी-2 व प्रदर्श-डी-3 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जो कि व्यवहार वाद क्रमांक 60ए / 11 में पारित निर्णय व डिक्री सत्यप्रतिलिपि हैं, जिससे यह दर्शित होता है कि इस प्रकरण के फरियादी पक्ष के अतिक्रमण के विरूद्ध तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही की जाकर रास्ता खुलवाया गया था तथा फरियादी पक्ष के द्वारा दायर किया गया, दीवानी वाद भी न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा चका है।

- 19— अभिलेख पर आई साक्ष्य से फरियादी व आरोपीगण के मध्य रास्ते के विवाद को लेकर पूर्व रंजिश होना स्थापित हैं तथा यह भी स्पष्ट है कि फरियादी पक्ष के द्व ारा कियें गये अतिक्रमण के विरूद्ध आरोपीगण की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी राजस्व अधिकारियों के द्वारा की गई है, परन्तु देखा यह जाना है कि मात्र उक्त आधार इस प्रकरण में फरियादी के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध झुठी रिपोर्ट करने का आधार हो सकता है, अथवा नहीं। घटना के संबंध में अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य को देखा जाना है, पूर्व की रंजिश दो धारी तलवार के सामान होती है, जिसके स्थापित होने से मात्र यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उक्त कारण से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झूठा फंसा सकता है। ऐसी रंजिश से यह भी हो सकता है कि वास्तविकता में एक व्यक्ति के साथ दूसरे पक्ष के द्वारा मारपीट की घटना कारित की जावे। अतः सत्यता की जांच के लिये साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्याकन किये जाने की आवश्यकता हैं।
- 20— यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण की कायमी सहायक उपनिरीक्षक राम सिंह (अ०सा०-4) के द्वारा प्रदर्श-डी 1 के आवेदन पर की गई जांच पर से की गई है, जिसके संबंध में बचाव पक्ष की मुख्य आपत्ति है कि दिनांक 25.12.2010 को सुबह सात बजे की घटना जिसके संबंध में फरियादी सहित आहतगण के द्वारा कथन दिये गये है, के संबंध में कोई रिपोर्ट ही भगवान सिंह (अ०सा०-1) के द्वारा नहीं की गई। निश्चित रूप से भगवान सिंह (अ0सा0–1) के द्वारा दिनांक 25.12.2010 की घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं की गई हैं। वहीं प्रदर्श-डी के आवेदन में वर्णित ध ाटना को अनुसंधानकर्ता अधिकारी राम सिंह (अ०सा०-4) के द्वारा प्रमाणित नही पाया गया है, परन्तु मात्र उक्त कारण से राम सिंह (अ०सा०-4) के द्वारा प्रदर्श-डी-2 में जांच उपरांत दिये गये निष्कर्ष पर संदेह नही किया जा सकता है ।

- 21— सर्वप्रथम तो यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह कर्तई आवश्यक नहीं है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना में आहत व्यक्ति ही थाने पर जाकर करे। ऐसी कोई भी घटना जो किसी व्यक्ति के समक्ष या उनकी जानकारी में आती है, वह व्यक्ति उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करा सकता है कि भले ही रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का उस घटना से सीधा संबंध हो अथवा नहीं। वर्तमान प्रकरण में जिस प्रदर्श—डी—1 के आवेदन को बचाव पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है, उक्त आवेदन सर्वप्रथम तो भगवान सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा थाने पर नही दिया गया, क्योंकि उस पर भगवान सिंह के कहीं भी हस्ताक्षर नही है बल्कि नत्थू सिंह के हस्ताक्षर हैं और अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक राम सिंह (अ0सा0—4) के द्वारा उक्त आवेदन की जांच पर से साक्षियों के कथनो के आधार पर दिनांक—25.12.2010 को पुनः आरोपीगण के द्वारा फरियादी पक्ष के साथ मारपीट की घटना घटित होना पाई थी, जिसमें स्वयं सहायक उपनिरीक्षक राम सिंह (अ0सा0—4) के द्वारा फरियादी बनकर घ ाटना की रिपोर्ट प्रदर्श—पी—2 थाने पर लेख की।
- 22— राम सिंह (अ०सा0—4) के द्वारा लेख बद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—2 में वर्णित घटना की दिनांक 25.12.2010 को सुबह 07:30 बजे चार अभियुक्त हरदयाल, सनमान, राजेंद्र व मीराबाई ने भगवान सिंह (अ०सा0—1) के घर के बाहर आकर एक दिन पूर्व हुये विवाद के बाद पुनः विवाद किया था, और भगवान सिंह (अ०सा0—1) सिंहत मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेंद्र सिंह (अ०सा0—3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से स्थापित होती है तथा उपरोक्त साक्षियों के कथन अभियोजन घटना समर्थन करते है तथा प्रतिपरीक्षण में विरोधाभास रहित होकर अकाटय अखण्डित है।
- 23—भगवान सिंह (अ०सा0—1) व मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेन्द्र सिंह (अ०सा0—3) के कथनों में निश्चित रूप से इस संबंध में विरोधाभास आना स्वाभाविक है कि उन्हें घटना में किस किस स्थान पर किस अभियुक्त के किस हथियार के किस प्रहार से उपहित कारित हुई थी, क्योंकि जब भी अचानक कोई घटना घटित होती है और अभियुक्तगण संख्या में अधिक होते है, तो व्यक्ति पहले स्वयं बचने का प्रयास करता है अतः घटना में आहतों से यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना का एक एक पल का नाटकीये रूपातंरण न्यायालय के समक्ष घटना के कई साल बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सके।
- 24— भगवान सिंह (अ0सा0—1) स्पष्ट कहना है कि घटना में उसे नाक में और मुंह सहित पूरे शरीर में चोटें आई थीं तथा उसके मुंह से खून भी निकला था तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में भी इस साक्षी ने उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते

हुये यह भी व्यक्त किया है कि उसकी पसिलयां टूट गई थी। घटना दिनांक को ही डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—6) के द्वारा भगवान सिंह (अ0सा0—1) सिहत मिथलाबाई (अ0सा0—2) व नरेंद्र सिंह (अ0सा0—3) का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने के उपरांत चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रदर्श—पी 6, 7 व 8 तैयार किये जाने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की गई। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—6) यह स्पष्ट किया है कि भगवान सिंह (अ0सा0—1) के चिकित्सीय परीक्षण में उनके द्वारा भगवान सिंह के नाक पर होठ के नीचे सीने के बाये तरफ पसिलयों पर नीलगू निशान सिहत दाहिनी ऐडी बाये घुटने पर छिलन के निशान पाये थे।

- 25— डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०–६) के द्वारा मौखिक साक्ष्य से भगवान सिंह (अ0सा0–1) के चिकित्सीय परीक्षण उपरांत तैयार किये गये प्रदर्श–पी–7 में उल्लेखित चोटों की पुष्टि होती है तथा डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०-6) की साक्ष्य से भगवान सिंह (अ०सा०-1) के कथनों की पुष्टि होती है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय उसकी पसलियों में, नाक में, होंठ में व शरीर के अन्य भागों पर कई जगह चोट के निशान थे। डॉक्टर एस० एस० छारी (अ0सा0-5) के द्वारा इस बात की पृंष्टि की गई की डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ के द्वारा भंगवान सिंह (अ०सा०–1) के नाक के एक्स–रे के लिये रैफर किये जाने पर उनके द्वारा भगवान सिंह (अ०सा०–1) की नाक का एक्स–रे परीक्षण किया गया था, जिसमें नेजल हड्डी में अस्थि भंग पाया गया था। डॉक्टर एस0 एस० छारी (अ०सा०-५) के द्वारा अपने कथनों से तैयार किये गये प्रतिवेदन प्रदर्श-पी-2 की पुष्टि की गई है। अतः डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०-6) एवं डाक्टर एस० एस० छारी (अ०सा०-६) की साक्ष्य एवं भगवान सिंह (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण उपरांत तैयार किये गये, प्रतिवेदन प्रदर्श-पी 7 व 2 से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 25.12.2010 को घटना के बाद फरियादी के किये गये चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी की नाक में अस्थि भंग होने के साथ साथ शरीर में अन्य कई जगह चोटें थी।
- 26— मिथलाबाई (अ०सा0—2) ने इस संबंध में अखिण्डत साक्ष्य दी है कि गजेंद्र सिंह ने उसके सिर में फर्सा मारा था तथा नरेंद्र को सनमान ने लुहांगी मारी थी एवं नरेन्द्रं को भी सिर में चोट आई थी नरेंद्र (अ०सा0—3) ने भी अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि सनमान ने उसे पीछे से सिर में लुहागी मारी थी, वहीं उसकी मां को गजेंद्र ने माथे पर फर्सा मारा था। मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेंद्रं (अ०सा0—3) के द्वारा घटना में आई अन्य चोटों के अलावा इस संबंध में एक राय होकर अभियोजन के समर्थन में कथन दिये है कि घटना में दोनों के सिर में चोट आई थी, जिसमें मिथलाबाई (अ०सा0—2) को गजेंद्र के द्वारा

फर्सा मारने एवं नरेंद्र (अ०सा०—3) को सनमान के द्वारा लुंहागी मारने से चोट आई थी। डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—6) ने अपने कथनों में इन साक्षियों के द्वारा बताई गई उपरोक्त चोटें चिकित्सीय परीक्षण में पाये जाने की पुष्टि की है तथा डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—6) का कहना है कि चिकित्सीय परीक्षण में मिथलबाई असा 2 को बाये कंधे बाये जांघ और दाई जांघ पर नीलगू निशान के अलावा माथे पर 3 गुणित 1 गुणित हड्डी की गहराई तक कटे हुये घाव की चोट थी, वहीं नरेंद्र सिंह (अ०सा०—3) के सिर के उपरी भाग पर भी कटे हुये घाव की चोट पाई गई थीं। डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—6) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि तैयार किये गये उपरोक्त प्रतिवेदन प्रदर्श—पी—8 व 6 से होती है।

27—अतः डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—६) की साक्ष्य से इस बात पुष्टि होती है कि घटना के बाद मिथलाबाई (अ०सा०—2) व नरेन्द्र (अ०सा०—3) के चिकित्सीय परीक्षण में दोनों ही आहतों के सिर पर कटे हुये घाव की चोट थी, जिससे मिथलाबाई (अ०सा०—2) व नरेंद्र (अ०सा०—3) के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि मिथलाबाई के सिर पर गजेंद्र के द्वारा फर्से से एवं नरेंद्र (अ०सा०—3) के सिर पर सनमान के द्वारा किये गये लुहांगी के प्रहार से उक्त चोटें कारित हुई। सख्त सतह पर लुहांगी के प्रहार से भी कटे हुये घाव की चोट आ सकती है और लुहांगी ऐसा अस्त्र है, जिसे यदि घातक आयुद्ध के रूप में उपयोग में लाया जाये, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है।

28—भगवान सिंह (अ०सा0—1) मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेन्द्र सिंह (अ०सा0—3) के द्वारा घटना में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुये यह अखिण्डत साक्ष्य दी गई है, चारों अभियुक्तगण हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र व मीराबाई फिरयादी के घर के बाहर पूर्व के विवाद पर से एक साथ एक राय होकर हिथयारों से लेष होकर आये थे, जो भगवान सिंह (अ०सा0—1) सिहत मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेन्द्र सिंह (अ०सा0—3) को उपहित करने का उनका सामान्य आशय दिशत करता है तथा साक्षियों की अखिण्डत साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को सुबह 07:30 बजे अभियुक्त हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र व मीराबाई ने भगवान सिंह (अ०सा0—1) के घर के बाहर आकर रास्ते के विवाद पर से बातावरण किया जिसमें अभियुक्तगण ने भगवान सिंह (अ०सा0—1) के साथ मारपीट की जिससे उसकी नाक में अस्थि भंग कारित हुआ, वहीं उसे बचाने आये मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेन्द्र सिंह (अ०सा0—3) के साथ भी मौके पर अभियुक्तगण ने मारपीट की, जिसमें अन्य चोटों के अलावा गजेन्द्र सिंह के द्वारा मिथलाबाई (अ०सा0—2) के सिर पर फर्से के प्रहार से एवं सनमान

के द्वारा नरेन्द्र (अ०सा०–3) के सिर पर लुहांगी के प्रहार से उपहति कारित हुई।

29—अतः अभियुक्त हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र व मीराबाई के विरूद्ध भगवान सिंह (अ०सा0—1) को घटना में नाक में कारित स्वेच्छया गम्भीर उपहित के आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 325/34 एवं मिथलाबाई (अ०सा0—2) को काटने के उपकरण फर्से से कारित की गई उपहित के संबंध में 324/34 भा0द0वि0 वहीं नरेन्द्र (अ०सा0—3) को घातक हथियार लुहांगी जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, कारित उपहित के संबंध में 324/34 भा0द0वि0 के आरोप साबित होते हैं।

विचारणीय प्रश्न कंमाक 3, 4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 30— भगवान सिंह (अ०सा0—1) का कहना है कि हरदयाल, मीराबाई, गजेन्द्र व सनमान ने आकर उसे मां-बहन की गालियां दी थी। जिसकी पृष्टि मिथलाबाई (अ०सा0-2) व नरेन्द्र (अ०सा0-3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में करते हुये स्पष्ट किया है कि संतराम, तोफान, तिलक व संग्राम सिंह ने कहा था कि मादरचोद बहनचोद रिपोर्ट करने जाये. तो जान से मारकर फेंक देंगे। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में कथन दिये है कि संतराम, तोफान व तिलक ने गालिया दी थी। यह उल्लेखनीय है कि भगवान सिंह (अ०सा०-1) मिथलाबाई (अ०सा0-2) व नरेन्द्र सिंह (अ०सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह तो व्यक्त किया है कि हरदयाल, गजेन्द्र, मीराबाई व सनमान ने भगवान सिंह (अ0सा0-1) को मां-बहन की गालियां दी थी, परन्तु कौन सी गालियां इन अभियुक्तगण ने दी यह इन साक्षियों ने स्पष्ट नहीं किया है। मिथलाबाई (अ०सा0-2) ने अपने कथनों की कण्डिका-1 में अभियुक्तगण संतराम, तोफान, तिलक व संग्राम सिंह के संबंध में यह कथन दिये है कि उन्होंने यह कहा था कि ''मादरचोद बहनचोद रिपोर्ट करने जाये तो जान से मारकर फेंक देंगे'' इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उपरोक्त शब्द किस साक्षी से किन अभियुक्तगण ने कहे थे।
- 31— अतः स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण गजेन्द्र, मीराबाई, हरदयाल व सनमान ने क्या अश्लील शब्द उच्चारित किये यह किसी भी साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—2 में इस बात का उल्लेख है। वहीं अभियुक्त संतराम, तोफान तिलक व गजेंद्र ने "मादरचोद, बहनचोद" के शब्द किसकों उच्चारित किये थे तथा किसे गाली दी थी, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि उक्त शब्द उच्चारित कर गालिया भगवान सिंह (अ0सा0—1) मिथलाबाई (अ0सा0—2) या नरेन्द्र सिंह (अ0सा0—3) में से किसी को दी गई थी, तो मात्र उक्त शब्दों का उच्चारण भा0द0वि0 की

धारा 294 का गठन नहीं करता है।

- 32— भा०द०वि० की धारा 294 के अपराध के लिये यह साबित किया जाना आवश्यक है। कि उच्चारित किये गये शब्द लोक स्थान या उसके आसपास उच्चारित किये गये है तथा उन शब्दों के उच्चारण से किसी को क्षोभ कारित हुआ हो। प्रकरण में अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इससे यह दर्शित होता हो कि यदि उपरोक्त शब्द व गालियां किसी अभियुक्त ने दी तो वह स्थान लोक स्थान या उसके आसपास का स्थान था तथा उन शब्दों से वास्तव में किसी को क्षोभ कारित हुआ। मिथलाबाई (अ०सा0-2) जिन शब्दों का उच्चारण अभियुक्तगण के द्वारा किया जाना बता रही है कि वह इस भौगोलिक क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश में साधारण बातचीत में भी ग्रामीण उपयोग में लाते है, जिसका आशय क्षोभ कारित करना नहीं होता है न ही ग्रामीण परिवेश के लोगों को ऐसे शब्दों के उच्चारण से क्षोभ होना माना जा सकता है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिथलाबाई (अ०सा०–२) ने निर्मिक होकर न्यायालय में कथन देते समय महिला होने के बाद भी उन शब्दों का उच्चारण किया। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नही होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सहित किसी अन्य को लोक स्थान या उसके आसपास अश्लील शब्द उच्चारित कर किसी को भी क्षोभ कारित किया हो। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा २९४ के आरोप साबित नही होते हैं।
- 33— जहां तक जान से मारने की धमकी अभियुक्तगण के द्वारा दिये जाने का प्रश्न है तो अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त धमकी संतराम, तोफान, संग्राम, तिलक सिंह के द्वारा रिपोर्ट करते जाते समय यह कहते हुये दी गई थी, कि "यदि तुमने रिपोर्ट की, तो अभी तो बच आइन्दा जान से मार कर फेंक देंगे जिन्दा नहीं छोडेंग" इस संबंध में साक्षियों के कथनों को यदि देखे, तो भगवान सिंह (अ०सा0—1) ने अपने कथनों में अभियोजन का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि अभी तो इतना ही मारा है चौकी जाओंगे तो जान से मार देंगे। भगवान सिंह (अ०सा0—1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुये मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेन्द्र (अ०सा0—3) ने भी न्यायालय में कथन दिये हैं।
- 34— अतः अभिलेख पर साक्षियों ने इस संबंध में तो अखण्डित साक्ष्य दी हैं कि संतराम, तोफान, संग्राम, तिलक सिंह ने कहा था कि रिपोर्ट करने जाओगे तो जान से खत्म कर देंगे, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि धारा 506 भा0द0वि0 का अपराध साबित करने के लिये यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण का आशय धमकी देने से फरियादी व अन्य को संत्राष कारित

करना था। धमकी से संत्रास कारित हुआ अथवा नहीं यह प्रकरण की परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

- 35— अभियुक्तगण की धमकी देने से भगवान सिंह (अ०सा0—1) मिथलाबाई (अ०सा0—2) व नरेंद्र (अ०सा0—3) पर कुछ भी प्रभाव पडा यह कहीं भी इन साक्षियों ने अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया है। भगवान सिंह (अ०सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में यह कहना है कि आरोपीगण धमकी देकर चले गये थे। घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक को ही थाने पर लेखबद्ध हुई है। अतः स्पष्ट है कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त धमकी दी गई, तो उसका आशय उक्त धमकी को प्रर्वतन में लाना नहीं था, न ही उससे किसी को क्षोभ कारित हुआ बल्कि उक्त धमकी शब्दिक धोंस मात्र थी, जिसका वास्तविकता से कोई लेना नहीं है। अतः स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी गई यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।
- 36— जहां तक अभियुक्तगण संतराम, तोफान, सग्राम सिंह व तिलक सिहं के विरूद्ध सदोष अवरोध का अपराध के आरोप प्रश्न है, तो इस संबंध में अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि भगवान सिंह सिहत किसी को भी अभियुक्तगण ने किसी विशिष्ट दिशा अर्थात् थाने पर रिपोर्ट करने जाने से रोका था, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने सदोष अवरोध का कोई अपराध कारित किया।
- 37— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण दिनांक 25.12.10 को सुबह 07:30 बजे भगवान सिंह सहित मिथलाबाई व नरेन्द्र को लोक स्थान पर मां—बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व उन्हें किसी विशिष्ट दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर आई अखण्डित साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र, मीराबाई ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर भगवान सिंह सहित मिथलाबाई व नरेन्द्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में हरदयाल, सनमान, गजेंद्र, मीराबाई ने भगवान सिंह (अ०सा0—1) को सख्त व मोथरी वस्तु से स्वेच्छया गम्भीर उपहित कारित की व मिथलाबाई (अ०सा0—2) को काटने के उपकरण फर्से से एवं नरेन्द्र को घातक आयुद्ध लुहांगी से स्वेच्छया उहपित कारित की।

- 38— फलतः अभियुक्तगण हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र व मीराबाई के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 325/34, 324/34 दो शीर्ष के आरोप प्रमाणित होते हैं जिससे अभियुक्तगण हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र व मीराबाई को भा0द0वि0 की धारा 325/34, 324/34 दो शीर्ष के आरोप में दोषी पाते हुये दोष सिद्ध ह गोषित किया जाता है।
- 39— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण संतराम, तोफान, संग्राम सिंह व तिलक सिंह के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 506 भाग—2, 341 के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, जिससे उक्त धारा 294, 506 भाग—2, 341 में संतराम, तोफान, संग्राम सिंह व तिलक सिंह को दोष मुक्त घोषित किया जाता है। वहीं अभियुक्तगण हरदयाल, सनमान, गजेंद्र, मीराबाई पर भी भा०द०वि० की धारा 294, 506/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उक्त धारा 294, 506/34 में हरदयाल, सनमान, गजेन्द्र व मीराबाई को दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 40— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

41— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण हरदयाल पुत्र बंशी यादव, मीराबाई पत्नी हरदयाल सिंह यादव, सनमान पुत्र हरदयाल सिंह यादव, गजेन्द्र सिंह पुत्र संग्राम सिंह यादव को फरियादी भगवान सिंह के संबंध में भा0दं0वि0 की धारा 325/34 के अपराध का दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 1—1 वर्ष (एक—एक वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1,000—1,000/— रूपये (एक—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 1—1 माह

(एक-एक माह) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

- 42—अभियुक्तगण हरदयाल पुत्र बंशी यादव, मीराबाई पत्नी हरदयाल सिंह यादव, सनमान पुत्र हरदयाल सिंह यादव, गजेन्द्र सिंह पुत्र संग्राम सिंह यादव को आहत मिथलाबाई के संबंध में भा०दं०वि० की धारा 324/34 के अपराध का दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 3 माह (तीन माह) सश्रम कारावास एवं 500/— रूपये (पांच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। उपरोक्त सभी सजायें एक साथ भुगताई जायें।
- 43— अभियुक्तगण हरदयाल पुत्र बंशी यादव, मीराबाई पत्नी हरदयाल सिंह यादव, सनमान पुत्र हरदयाल सिंह यादव, गजेन्द्र सिंह पुत्र संग्राम सिंह यादव को आहत नरेन्द्र के संबंध में भा०दं०वि० की धारा 324/34 के अपराध का दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 3 माह (तीन माह) सश्रम कारावास एवं 500/— रूपये (पांच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। उपरोक्त सभी सजायें अभियुक्तगण को एक साथ भुगताई जायें।
- 44—अभियुक्तगण हरदयाल, सनमान, गजेंद्र व मीराबाई की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अविध दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण हरदयाल, सनमान, गजेंद्र व मीराबाई के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। वहीं अभियुक्तगण संतराम, तोफान, संग्राम सिंह व तिलक सिंह के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)